NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 304/NCRES/19 Date : 06.12.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक (कार्मिक)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान करना।

संदर्भ :– (1) NCRES का पत्र दिनांक 26.08.2019
(2) NCRES का पत्र दिनांक 28.10.2019

महोदय,

प्रधान कार्यालय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2019 द्वारा झांसी और आगरा मण्डल को निर्देश जारी किया था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2019 और 22.04.2019 के तहत LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित बच्चों को नियुक्ति प्रदान करे लेकिन झांसी एवं आगरा मण्डल द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है।

NCRES ने दिनांक 28.10.2019 द्वारा यह भी अवगत कराया था कि झांसी एवं आगरा मण्डल के जिन कर्मचारियों के बच्चों को मेडिकल जांच में 27.10.2017 के पहले फिट किया गया है उनमें से कुछ कर्मचारी जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में सेवानिवृत होने वाले है।

NCRES का अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर LARSGESS के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करने के लिये आगरा एवं झांसी मण्डल को उचित आदेश जारी करने की कृपा करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री